

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

3 लीलावती देवी पति प्रेमनाथ उराँव पिता स्व० बाबूलाल केरकेट्टा, निवास स्थान ग्राम-कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम इरबा टोली, ओरमांडी, थाना-ओरमांडी, जिला-राँची द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं०-154, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-739, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि सोनी कुजूर पति मनोज कुमार कुजूर, निवास स्थान ग्राम-सारले, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22025844 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-643/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3406/रा० दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 226 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत हैं एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत कंगलु उराँव हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 2.79 एकड़ है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 2.79 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-5/1 पर कंगलु उराँव के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के परदादा हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकबा 2.74 एकड़ भूमि बचती है। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिसूचना क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में लीलावती देवी पति प्रेमनाथ उरौंव पिता स्व० बाबूलाल केरकेट्टा, निवास स्थान ग्राम-कोर्दा, पोस्ट-कोर्दा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम हरबा टोली, ओरमांझी, थाना-ओरमांझी, जिला-रौंची को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं०-154, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-739, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि सोनी कुजूर पति मनोज कुमार कुजूर, निवास स्थान ग्राम-सारले, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	